झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

एफ0 ए0 संख्या–104 / 2006

के साथ

आई0ए0 सं0–3320 / 2019

एवं

आई0ए0 .3462 / 2019

बेस्ट बोकारो कोलियरी, टिस्को, अब, टाटा स्टील लिमिटेड, एट एंड पी0ओ0–घाटोटांड़, पी0एस0–मांडू, जिला–हजारीबाग।

.... अपीलार्थी / विपक्षी पार्टी

बनाम

1. नन्दकिशोर साव
2. टिकैत प्रसाद
3. नरेश प्रसाद
3. तुषार प्रसाद, पे0–स्वर्गीय कृष्णदेव साहु उर्फ साव उर्फ प्रसाद

क्रम संख्या 1 से 4 स्वर्गीय कृष्णदेव साहु उर्फ साव उर्फ प्रसाद के पुत्र हैं।

सभी निवासी ग्राम–बन्जी, डाकघर एवं थाना–माण्डू, जिला–हजारीबाग।

उत्तरदातागण / आवेदकगण / प्रथम पक्ष

5. झारखंड राज्य द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग

प्रतिवादी / विरोधी पक्ष

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी

अपीलार्थी के लिए :– श्री राजीव रंजन, वरीय अधिवक्ता,
श्री प्रत्यूष कुमार, अधिवक्ता
श्री गणेश पाठक, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :–श्री सतीश प्रसाद, अधिवक्ता
श्री ए0के0 रशीदी, अधिवक्ता
श्री अरविन्द कु0 सिन्हा, अधिवक्ता
श्री सत्यदेव कुमार, अधिवक्ता

24 / 10.04.2019 दोनों पक्षों के अधिवक्तागण उपस्थित हैं।

2. यह प्रथम अपील लैंड रेफरेंस वाद संख्या–506/1992, जो कि एल0ए0 वाद संख्या–51 वर्ष 1980–81/19 वर्ष 1988–89 से उद्भूत है, में अवर न्यायाधीश द्वितीय, हजारीबाग द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत पारित दिनांक 23.03. 2006 के निर्णय एवं दिनांक 24.04.2006 के पंचाट के खिलाफ दाखिल की गई है।

3. अपीलार्थी एवं प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से एक संयुक्त समझौता आवेदन दाखिल किया गया है।

4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से निवेदन किया गया कि उनके बीच न्यायालय के बाहर समझौता हो गया है तथा तद्नुसार इस वाद में एक संयुक्त समझौता आवेदन दाखिल किया गया है तथा समझौते के शर्त अर्न्तवर्ती आवेदन (आई0ए0) के पारा 4 एवं 5 में वर्णित हैं, अधिवक्तागण संयुक्त रूप से निवेदन करते हैं कि समझौते के शर्तों के आलोक में मामले को निष्पादित किया जाए तथा तद्नुसार कार्यालय को पंचाट बनाने हेतु निर्देशित किया जाए।

5. दोनों पक्षों द्वारा दाखिल समझौता आवेदन के अवलोकन के पश्चात् तथा उनके अनुरोधों पर विचार करते हुए, इस वाद को समझौते के शर्तों के आलोक में निष्पादित किया जाता है, जो कि आई0ए0 के कंडिका–4 एवं 5 में वर्णित है तथा जिसे सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उल्लेखित किया गया हैः–

"4. कि, इस प्रकार यह संयुक्त समझौता दाखिल किया जा रहा है जिसमें दावेदारों और उत्तरदाताओं के बीच इस आशय का समझौता हुआ है कि वे स्वेच्छा से, रजामंदी से, बिना शर्त और असमान रूप से पंचाट की तिथि यथा 20.12.2005 से निष्पादन करने वाले अदालत में उस राशि को अपीलकर्त्ता द्वारा जमा करने की तारीख– 10.07. 2012 तक अर्जित ब्याज की राशि का 40% छोड़ देने के लिए सहमति व्यक्त की है। समझौता के अनुसार अपीलार्थी को माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यपालन कराने वाले न्यायालय (एक्सिक्यूटिंग कोर्ट) में अपीलार्थी द्वारा जमा की गई सूद सहित रकम जो कि अधिनिर्णित किया गया है, को मुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है।

5. कि, अपीलार्थी, दावदारों–उत्तरदाताओं को पंचाट की तिथि से जमा करने की तिथि तक कुल प्रोद्भूत ब्याज का 60% भुगतान दावेदारों–उत्तरदाताओं को करने के लिए स्वेच्छा से सहमत हो गया है। दावेदारों–उत्तरदाताओं ने रजामंदी से, स्वेच्छा से, बिना शर्त के तथा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की है और इस प्रकार छूट दी है और विद्वान निष्पादन न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णित राशि पर उक्त तिथि के बाद किसी भी तरह के ब्याज का किसी भी तरह का दावा नहीं करेगा। दावेदार–उत्तरदाताओं ने परिनिर्धारण राशि से पूरी तरह से संतुष्ट होने की पुष्टि करते हैं और अपीलकर्त्ता के विरूद्ध अधिनिर्णित राशि पर किसी भी तरह का पुनः दावा, मांग तथा/या शिकायत नहीं करेंगे। अपीलकर्त्ता उपरोक्त 60% ब्याज, रजामंदी से तथा स्वेच्छा से माननीय न्यायालय के इस आदेश के एक माह के अन्दर, जमा करने पर सहमति व्यक्त किये हैं'।

6. दोनों पक्षों के बीच हुए उक्त समझौता–पत्र के आलोक में, इस प्रथम अपील को निष्पादित किया जाता है तथा समझौता आवेदन को पंचाट का भाग माना जाय।

7. रजिस्ट्री को, तद्नुसार, पंचाट तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

ह0

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)